समाहरणालय, कोडरमा

(जिला राजस्व शाखा)

विविध अपिल वाद संख्या–03 / 2017–18

जिरिया देवी, पति–नन्हकु यादव, सा0–झुमरीतिलैया — प्रथम पक्ष

–बनाम–

संजय यादव, पिता–बालेश्वर यादव, झुमरीतिलैया एवं अन्य, — द्वितीय पक्ष

06.7.2018

प्रस्तुत वाद श्रीमती जिरिया देवी, पति–नन्हकु यादव, सा0–झुमरीतिलैया द्वारा न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा के विविध वाद संख्या–29 / 2009–10 में दिनांक 27.07.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रारम्भ किया गया है। इस क्रम में आवेदक द्वारा न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा के न्यायालय में वाद संख्या–33 / 2013 जिरिया देवी –बनाम– संजय यादव दायर किया गया है, जिसे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा दिनांक 04.07.2017 को पूर्व में दिनांक 27.07.2010 को पारित आदेश के आलोक में, बिना कोई प्रभावी आदेश के वाद को समाप्त किया गया है। अंगीकरण के बिन्दु पर संबंधित पक्षों को सुना गया।

प्रथम पक्ष का कहना है कि मौजा–तिलैया, थाना नं0–244, खाता नं0–788, प्लॉट नं0–3259, रकवा–0.15 एकड़ मधे रकवा–0.08 एकड़ भूमि वर्णित केवाला संख्या–53 / 83 दिनांक 21.09.2004 द्वारा खरीद किया गया है। उक्त भूमि के विक्रेता रामधनी यादव वो महावीर यादव, दोनों के पिता–स्व0 बिशुन महतो उक्त भूमि का अपने पूर्वजों के बंटवारा में प्राप्त किये हैं तथा अपने हिस्से की जमीन बिक्री किये हैं, खतियानी वंशज होने के कारण उसपर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त था, निम्न न्यायालय में केवाला रद्द करने हेतु निदेश विपक्षी को दिया गया था, इसके बावजूद विपक्षी कोई भी वाद केवाला रद्द करने हेतु किसी भी न्यायालय मे नही किये हैं। अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल–खारिज की स्वीकृति दी गई, जिसका लगान वर्ष 2010 तक निर्गत हुआ है। निम्न न्यायालय में विविध वाद संख्या–33 / 2013 दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक 04.07.2017 को बिना कोई प्रभावी आदेश पारित किये बिना वाद समाप्त किया गया था तथा अपील उच्चत्तर न्यायालय में दाखिल करने हेतु कहा गया। आवेदक द्वारा वाद को अंगीकृत करने का अनुरोध किया गया।

C.C.N
P-222
11/08/18

विपक्षी संजय यादव, का कहना है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षी के हिस्से में पडता है, जिसे दूसरे हिस्सेदार के वंशज अर्थात विशुन महतो के पुत्र महावीर महतो एवं रामधनी महतो ने कुछ व्यक्तियों को बिक्री कर दिया। खतियान में उल्लेखित रैयतों में दो व्यक्तियों का नाम विशुन महतो रहने के कारण दूसरे अशंधारी विशुन महतो, पिता–गरूदयाल महतो के पुत्र महावीर महतो एवं रामधनी महतो ने प्रथम अंशधारी विशुन महतो वगैरह पिता–दुखी महतो के हिस्स की जमीन को विभिन्न व्यक्तियों के साथ गलत तरीके से बेच दिया गया, जबकि उक्त भूमि को बिक्री करने का कोई अधिकार अथवा हक नहीं था, विक्रेता दूसरे अंश के हिस्सेदार हैं, जिस कारण निम्न न्यायालय द्वारा जमाबंदी को स्थगित किया गया। वाद में कोई मेरिट नहीं है। विक्रेता दूसरे के हिस्से की जमीन बिक्री किये हैं। भूमि पर विपक्षी का दखल–कब्जा है। वाद अंगीकरण योग्य नहीं है।

C.C.M.
248
28/08/18

विदित है कि खातियानी रैयत के वंशज में दो विशुन महतो रहने के कारण इसका फयदा लेकर दुसरे अंशधारी के हिस्से की भूमि विभिन्न व्यक्तियों को विक्री कर दी गई है, जो विवाद का मुख्य कारण है। वाद अंगीकरण योग्य नहीं है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

अपर समाहर्ता,
कोडरमा।

अपर समाहर्ता,
कोडरमा।

Digitally signed by ANIL KUMAR TIRKEY
Date: 2022.10.13 12:48:54 +05:30
Location: 192.168.1.153

कार्यालय, अपर समाहर्ता, कोडरमा

General Ordersheet